कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 1634/नातौ/अ-1(1)/F-34/2017 भोपाल, दिनांक : 10 /04/2017

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान),
मध्यप्रदेश

विषय :- रबी विपणन मौसम 2017-18 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन नीति के तहत् मंडियों एवं उपार्जन केंद्रो कें नाप-तौल उपकरणों एवं उपार्जन कार्य में लगे सभी धर्मकांटों के सत्यापन बाबत्।

--------- 000 ----------

उपरोक्त विषयांतर्गत रबी विपणन मौसम 2017-18 में समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन कार्य माह मार्च 2017 से माह मई 2017 तक किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न-1 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं उपार्जन केंद्रो में उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों का सत्यापन व मुद्रांकन कार्य पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन से संबंधित उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल को अवगत करावे।

संलग्न - संलग्न-1 (P.T.O.)

(एस.के.जैन)
नियंत्रक
नापतौल, म.प्र.,भोपाल

पृ0क्र0 1635 /नातौ/अ-1(1)/F-34/2017 भोपाल, दिनांक 10 /04/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक एवं आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) भोपाल,
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल,
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., भोपाल,
5. प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल,
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भोपाल,

की प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधिनस्थ समस्त उपार्जन केंद्रों में उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरणों एवं धर्मकांटों का शत-प्रतिशत सत्यापन/मुद्रांकन कार्य संबंधित नाप-तौल निरीक्षक से उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

7. समस्त उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से उपरोक्तानुसार कार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करावे साथ ही उपार्जन केंद्रो पर सतत् निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिवस में प्रेषित करें।
8. अधीक्षक/स्टेनो मुखयालय की ओर प्रेषित।

संलग्न - संलग्न-1 (P.T.O.)

नियंत्रक
नापतौल, म.प्र.,भोपाल

निरंतर...........2

(संलग्न -1)

रबी विपणन मौसम 2017-18 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपर्जान नीति के तहत् गेहूँ उपार्जन केंद्रो में शासन के द्वारा माह मार्च 2017 से माह मई 2017 तक समय सीमा निर्धारित की गई है।

उपार्जन का कार्य मुख्य रूप से कृषि उपमण्डियों, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा किया जाना है।

उपार्जन कार्य में विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्व के साथ ही नाप-तौल विभाग का भी महत्वपूर्ण दायित्व है कि किसानों को उसकी फसल का सही नाप-तौल किया जावे यह सुनिश्चित हो।

इस हेतु विभाग के द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपार्जन केंद्रो में उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों का सत्यापन व मुद्रांकन का कार्य पूर्ण करे। साथ ही उपार्जन केंद्रों पर समय-समय पर निरीक्षण कर तौल की जांच करें एवं जांच प्रतिवेदन कार्यालय को सौंपे। इसी के साथ उपार्जन केंद्रो पर गेहूँ क्रय करने वाली एजेंसियों जैसे कृषि उपज मण्डियों, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरण ठीक कराकर संबंधित नाप-तौल निरीक्षकों से सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य करा लें ताकि किसानों को सही तौल प्राप्त हो सके। साथ ही उपरोक्त एजेंसियां अपने अधिनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इलेक्ट्रानिक नाप-तौल उपकरण जो कि अति संवेदनशील होते है उनका उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतें जैसे :-

1. तुलने वाली बोरियों को जोर से नहीं गिराना चाहियें।
2. प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति न खड़ा हो।
3. प्लेटफार्म पर ढलान को ऐसा बनाया जावे जिससे बोंरियों को चढ़ाने उतारने में कोई कठिनाई न हो।
4. नियमानुसार तौल उपकरण की यथार्थता की जांच हेतु उपकरण की क्षमता के दसवें भाग अथवा एक टन से अधिक जो कि कम हो तौल यंत्रों पर उपलब्ध होना चाहिये एवं तौल के प्रारंभ पर रखे गये बांटो से तौल यंत्र की जांच कर तौल प्रारंभ की जानी चाहिये ताकि किसानों को सही तौल के द्वारा उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
5. उपार्जन सें संबंधित समस्त बडे प्लेटफार्म वाले धर्मकाटें के प्लेट फार्म को लम्बाई टेप से मध्य स्थल चिन्हित करते हुये एवं मध्य स्थल से आगे एवं पीछे ऐसी दूरी का निर्धारण करें जिसमें ट्रेक्टर ट्राली मध्य से आ सके, जिससे की परिणामों में कोई अंतर की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही धर्मकांटे के संचालक को यह सूचित करें कि उपरोक्त चिन्हित स्थल को पैन्टस से हमेशा के लिये चिन्हित किया जाये।
6. धर्मकांटों के अंशांकन को इस प्रकार सील किया जावे कि उपयोगकर्ता उसमें कोई छेडखानी न कर सके एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें। एवं धर्मकांटे का केलिब्रेशन काउन्ट एवं दिनांक भी अंकित करें।
7. तौल उपकरण जिसमें केलिब्रेशन हेतु जम्पर सुविधा है, उसको केलिब्रेशन के पश्चात नॉन केलिब्रेशन मोड में कर बॉक्स को पूर्णतः सीलबंद कर मुद्रांकित किया जावे तथा पेट्रोल पंपों की तरह ही एमसील लगाकर अतिरिक्त रूप से मुद्रांकित किया जावे जिससें बगैर सील तोड़े जम्पर स्विच प्रभावित नहीं हो सकें। साथ ही लोड सेल वायर को हेडवर्क (मॉनीटर) वायरिंग कर कनेक्टर को इस प्रकार से फिक्स किया जाये ताकि निरीक्षक की अनुमति के बिना अलग नहीं किया जा सके।
8. सत्यापन के पश्चात हेडवर्क बगैर स्थानीय निरीक्षक की अनुमति के बदला नहीं जावे।
9. सत्यापन के समय जंक्शन बॉक्स को भी सीलबंद किया जावे।
10. तौल के समय Kg मे display हो ~~की~~ तौल मशीन मे यदि volume में convertor की सुविधा हो तो इसका indicator में display volume में हो रहा है, यह सुनिश्चित हो।

नियंत्रक
नापतौल, म.प्र.,भोपाल